पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सरवन कुमार

बनाम

अमरेन्द्र कुमार एवं अन्य

2015 की द्वितीय अपील सं. 34

4 अगस्त, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान अपीलीय न्यायालय का यह आदेश सही है कि मुद्दे को दलीलों के अनुसार ठीक से तैयार नहीं किया गया?

हेडनोट्स

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XLI नियम 31—धारा 100—द्वितीय अपील—विद्वान अपीलीय न्यायालय का आदेश इस आधार पर कि दलीलों के अनुसार मुद्दों को ठीक से तैयार नहीं किया गया था—अपीलकर्ता ने कई अन्य व्यक्तियों के साथ जमीन खरीदी थी—पड़ोसी के बीच भूमि और निर्माण अतिक्रमण पर विवाद—विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सभी मुद्दों पर ध्यान दिया और अपील के निर्धारण के लिए अपने स्वयं के बिंदु तैयार किए—इसके बाद, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए साक्ष्य पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार किया और ऐसा करते समय, इसने अपने स्वयं के कारणों को भी आक्षेपित निर्णय में दर्ज किया है।

निर्णीत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह माना है कि उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह विचारण न्यायालयों के निष्कर्षों को बदलने के लिए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करे - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल तथ्य के प्रश्न ही द्वितीय अपील के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते - यदि विचारण न्यायालय किसी ऐसे

निष्कर्ष पर पहुँचती है जिसमें कोई त्रुटि या विकृति नहीं है, तो यह न्यायालय विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु मामले पर विचार नहीं करेगा - अपीलकर्ता ने विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी भी विकृति को इंगित करने में विफल रहा - अपील को स्वीकृति के चरण में ही खारिज कर दिया गया। (कंडिका 13, 16 से 19)

न्याय दृष्टान्त

मल्लुरु मल्लप्पा बनाम कुरुवथप्पा, **(2020) 4 एससीसी 313;** कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम अंजुमन-ए-इस्माइल, **(1999) 6 एससीसी 343**—पर भरोसा किया गया।: एच. सिद्दीकी बनाम ए. रामलिंगम, **(2011) 4 एससीसी 240**— विशिष्ट किया गया।

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

भूमि, तथ्य का शुद्ध प्रश्न द्वितीय अपील के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन।

प्रकरण से उत्पन्न

एमटीए सं. 9/2013 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शेखपुरा द्वारा पारित दिनांक 22.12.2014 के निर्णय और डिक्री से, जिसमें अपील को खारिज करते हुए, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने स्वत्व: वाद सं. 18/2010 में विद्वान मुंसिफ, शेखपुरा द्वारा पारित दिनांक 22.02.2013 के निर्णय और दिनांक 06.03.2023 के डिक्री की पुष्टि की।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री दीपक कुमार सिंह, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की द्वितीय अपील सं. 34

==

सरवन कुमार, पिता- स्वर्गीय कैलाश सिंह, निवासी, गाँव- गोपीचक, थाना- शेखपुरा, जिला- शेखपुरा, वर्तमान में- बरबीघा, पटेल नगर, थाना- बरबीघा, जिला- शेखपुरा।

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. अमरेंद्र कुमार, पिता- स्वर्गीय बैद्य नाथ प्रसाद।
2. बैद्य नाथ प्रसाद, पिता- राम स्वरूप महटन।
3. लक्ष्मी देवी, पति- बैद्य नाथ प्रसाद सिन्हा।

सभी का निवास गाँव- पटेल नगर, थाना- बरबीघा, जिला- शेखपुरा।

... ...उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री दीपक कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री

==

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 04-08-2023

स्वीकारोक्ति बिंदु पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. अपीलकर्ता ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत यह दूसरी अपील 2013 के एम.टी.ए. सं. 9 में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, शेखपुरा द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए दायर की है, जिसमें अपील को खारिज करते हुए, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विद्वान मुंसिफ, शेखपुरा द्वारा स्वत्वः वाद 18/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 और डिक्री दिनांक 06.03.2023 की पुष्टि की है।

3. अभिलेखों से, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता है।

4. अपीलकर्ता और उत्तरदाता सं. 2 और 3 ने प्लॉट सं. 439 पर जमीन का एक-एक टुकड़ा खरीदा है और कई अन्य व्यक्तियों ने भी उक्त प्लॉट पर जमीन खरीदा है। अपीलकर्ता की खरीदी गई भूमि 75/32 दशमलव बताई गई है और उत्तरदाताओं की खरीदी गई भूमि 13 दशमलव है। अपीलकर्ता का मामला यह है कि उत्तरदाताओं का घर अपीलकर्ता के घर की उत्तरी सीमा में स्थित है और दोनों पक्षों ने दिनांक 05.12.2002 को एक लिखित समझौता किया है कि अपीलकर्ता अपने उत्तर में 1 फुट भूमि छोड़ेगा और उत्तरदाता सं.1 अपने दक्षिण में 15 इंच जमीन छोड़ेगा और इस तरह वे अपने घरों का निर्माण करेंगे। अपीलकर्ता और उत्तरदाता सं.1 के घरों के बीच 27 इंच का खुला स्थान हवा और प्रकाश के लिए गली के रूप में उपयोग किया जाएगा और दोनों पक्ष किसी भी कारनिस (छज्जा) को नहीं खोलने पर सहमत हुए थे। हालाँकि अपीलकर्ता ने समझौते की शर्तों का पालन किया और 1 फुट भूमि छोड़कर अपनी दीवार खड़ी की, लेकिन उत्तरदाताओं ने प्रथम मंजिल का निर्माण करते समय अपनी छत का 18 इंच अपनी पिछली बची हुई भूमि के 15 इंच पर और 3 इंच अपीलकर्ता की भूमि पर लगाया। प्रथम मंजिल पर छत के प्रक्षेपण के माध्यम से 18 इंच का यह विस्तार अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच विवाद का मूल कारण है।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने दिनांक 05.10.2002 के समझौते का खंडन किया है। उत्तरदाताओं ने आगे कहा है कि जब वे अपने घर का निर्माण शुरू किए, तो उन्होंने दक्षिण की ओर ढाई फीट खुली जगह छोड़ी जो उत्तर से दक्षिण की ओर थी और आगे हवा और प्रकाश के लिए अपनी जमीन पर पूर्व से पश्चिम तक 25 फीट खुली जगह छोड़ी थी। उत्तरदाताओं का आगे का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने पुलिस बल में होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उत्तरदाताओं की भूमि का अतिक्रमण किया और निर्माण कार्य

शुरू किया और उक्त भूमि पर दीवार खड़ी की।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने नौ मुद्दे तैयार किए और साक्ष्य पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता के मुकदमे को खारिज कर दिया। वादी-अपीलकर्ता विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष गया जिसने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री कानूनी और वैध थी और वादी-अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। इस दूसरी अपील में विद्वान अपीलीय न्यायालय के आदेश का विरोध किया गया है।

7. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दलीलों के आधार पर मुद्दों को ठीक से तैयार नहीं किया था और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया था। दोनों विचारण न्यायालयों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि चूंकि मुद्दों को ठीक से तैयार नहीं किया गया था, इसलिए साक्ष्य को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ा गया और इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालयों द्वारा एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचा गया था।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने पुष्टि का निर्णय दर्ज करते समय प्रत्येक मुद्दे पर विचार नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय को बनाए गए मुद्दों के संबंध में साक्ष्य की *प्रतिकूल में* सराहना करने की आवश्यकता थी और विद्वान अपीलीय न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला गया था जिसे वह निर्वहन करने में विफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने कंडिका 31 में अपने निष्कर्ष को संक्षेप में प्रस्तुत किया है जो मूल रूप से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य पर की गई चर्चा पर निर्भर करता है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि हालांकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय के बारे में अपने निष्कर्ष को दर्ज किया है जो

विद्वान सर्वेक्षण जानकार अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 10क और आदेश 26 नियम 14(3) के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है, जिसे 2015 का प्रदर्श 3 श्रृंखला के रूप में चिह्नित किया गया है, फिर भी इसने नए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मामले को वापस नहीं किया, क्योंकि प्रदर्श 3 पर विश्वास नहीं किया गया था और उसके द्वारा विचार नहीं किया गया था। इस स्थिति में, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 14(3) के प्रावधानों के तहत, विद्वान विचारण न्यायालय के लिए एकमात्र विकल्प यह खुला था कि वह एक नए सर्वेक्षण जानने वाले अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करके नई रिपोर्ट मांगे, जो उसके द्वारा नहीं किया गया था। यहां तक कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 14(3) के प्रावधानों का पालन न करने के कारण रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह मामले को नहीं छोड़ा और न ही इसने अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से अधिवक्ता आयुक्त की वैज्ञानिक रिपोर्ट को अभिलेख पर लाने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 7 के प्रावधानों का सहारा लिया।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का विचार नहीं किया। इसके निष्कर्ष कारणों से समर्थित नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया और मौखिक साक्ष्य की सराहना करने के अपने कर्तव्य में विफल रही। विद्वान अधिवक्ता ने ***एच. सिद्दीकी बनाम ए. रामलिंगम*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो ***(2011) 4 एस.सी.सी. 240*** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें कंडिका 21 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:

"आदेश 41 नियम 31 दी.प्र.सा.

__21.__ उक्त प्रावधान अपीलीय न्यायालय के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं कि न्यायालय को कैसे आगे बढ़ना है और मामले का फैसला करना है। प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि उसमें उल्लिखित विभिन्न विवरणों को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होना चाहिए कि न्यायालय ने तथ्यों/साक्ष्य की उचित रूप से सराहना की है, अपने दिमाग को लगाया है और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करते हुए मामले का फैसला किया है। यह उक्त प्रावधानों के पर्याप्त अनुपालन के बराबर होगा यदि अपीलीय न्यायालय का निर्णय मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रासंगिक साक्ष्य के स्वतंत्र मूल्यांकन पर आधारित है और अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष अच्छी तरह से स्थापित और काफी विश्वसनीय हो। अपीलीय न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह स्वतंत्र रूप से पक्षों के साक्ष्य का आकलन करे और उन प्रासंगिक बिंदुओं पर विचार करे जो निर्णय लेने और उन बिंदुओं पर साक्ष्य देने के लिए उत्पन्न होते हैं। तथ्य की अंतिम न्यायालय होने के नाते, प्रथम अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के फैसले के साथ सहमति की केवल सामान्य अभिव्यक्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे विचारण न्यायालय के प्रत्येक बिंदु पर अपने फैसले के कारण स्वतंत्र रूप से देने चाहिए। इस प्रकार, पूरे साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए और विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। ऐसा अभ्यास उक्त प्रावधानों के अनुसार विचारणीय बिंदुओं को तैयार करने के बाद किया जाना चाहिए और न्यायालय को उक्त वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए (सुखपाल सिंह बनाम कल्याण सिंह [ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 146], गिरिजानंदिनी देवी बनाम बिजेंद्र नारायण चौधरी [ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1124], जी. अमलोरपवम बनाम

आर.सी. मदुरै के धर्मप्रांत [(2006) 3 एस.सी.सी. 224], शिव कुमार शर्मा बनाम संतोष कुमारी [(2007) 8 एस.सी.सी. 600] और गन्नमणि अनसूया बनाम पार्वतीनी अमरेंद्र चौधरी [(2007) 10 एस.सी.सी. 296: ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 2380] को देखें)"

11. मैंने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय के आदेश का विरोध करने के लिए इस आधार पर की गई दलीलों और आधारों पर विचार किया है कि अभिवचनों के अनुसार मुद्दों को ठीक से तैयार नहीं किया गया था, मुझे लगता है कि वे सही नहीं प्रतीत होते हैं। तैयार किए गए मुद्दों को शिथिल रूप से कहा जा सकता है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वे अभिवचनों के अनुसार नहीं हैं या मुद्दों को अनुचित तरीके से तैयार किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए हैंः

1. क्या वाद पोषनीय है?

2. क्या वाद परिसीमा अधिनियम से प्रभावित है?

3. क्या वाद विशेष अनुतोष अधिनियम के धारा 34 से प्रभावित है?

4. क्या वादी निर्धारित न्याय शुल्क दाखिल किया है?

5. क्या वादी को वाद दायर करने का उचित कारण मौजूद है?

6. क्या प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 5.10.02 के समझौते को माना है?

7. क्या विवादित जमीन जो नापी के अनुसार 18" उत्तर से दक्षिण और 25' पूरब से पश्चिम है वह प्रतिवादी के जमीन का भाग है वादी के जमीन का भाग है विवादित (वादग्रस्त जमीन 18" उत्तर से दक्षिण और 25' पूरब से पश्चिम जिसपर प्रतिवादी द्वारा निर्माण किया गया है क्या यह सही है। यह अवैध है, जिसे ध्वस्त किया जा सकता हैं।

8. क्या उतरवादी दीवाल जिस पर वादी का घर है, वह अपने खरीदगी जमीन

पर बनाया है?

9. क्या वादी मांगे गए अनुतोष को पाने का हक़दार हैं?

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय को यह समझाने में सक्षम नहीं हुए हैं कि किसी भी मुद्दे को तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी न ही वे अभिवचनों से परे थे।

13. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सभी मुद्दों पर ध्यान दिया और अपील के निर्धारण के लिए स्वयं बिंदु तैयार किये थे। इसके बाद, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए साक्ष्य पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार किया और ऐसा करते हुए, उसने स्वयं के कारण भी दर्ज किए हैं जो आक्षेपित निर्णय के कंडिका 14 से 30 तक दर्शाते हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट कंडिका 31 में केवल उसी बात का सारांश दिया गया है जिस पर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा चर्चा और विचार किया गया है। यह तथ्य नहीं है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय अपने स्वयं के कारणों को दर्ज किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है।

14. चूंकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री की पुष्टि की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि निष्कर्षों के संदर्भ में प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को दोहराने की आवश्यकता थी। ***(2020) 4 एस.सी.सी. 313*** में रिपोर्ट किए गए ***मल्लूरू मल्लप्पा बनाम कुरुवतप्पा*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 18 में इस मुद्दे पर चर्चा की है जो निम्नानुसार हैः

> *"**18.** उपरोक्त प्रावधानों और इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निर्धारण के लिए बिंदु निर्धारित करने होंगे, उस पर निर्णय दर्ज करना होगा और स्वयं के कारण देने होंगे। यहां तक*

कि जब प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि करता है, तब भी उसे आदेश 41 नियम 31 की आवश्यकता का पालन करना आवश्यक है और इस आवश्यकता का पालन न करने से प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले में कमजोरी आती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अपीलीय न्यायालय साक्ष्य पर विचारण न्यायालय के विचारों से सहमत होता है, तो उसे साक्ष्य के प्रभाव को दोहराने या विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों के साथ एक सामान्य समझौते की अभिव्यक्ति आम तौर पर पर्याप्त होगी।

15. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि मामले को नए आयोग के लिए विद्वान विचारण न्यायालय में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उसने सर्वे करने वाले अधिवक्ता कमिश्नर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, सही नहीं लगता। अगर प्रावधान को पूरी तरह से देखा जाए, तो नियम 26 आयोग से संबंधित है और नियम 13 और 14 बंटवारे के फैसले के मामले में आयोग से संबंधित हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता का शीर्षक भी स्पष्ट है और प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने पर यह बात और स्पष्ट हो जाती है। इसमें यह बताया गया है कि अगर न्यायालय रिपोर्ट को सही मानता है या उसमें बदलाव करता है, तो वह उसी के अनुसार फैसला सुनाएगा। लेकिन अगर न्यायालय रिपोर्ट को खारिज कर देता है, तो वह या तो नया आयोग जारी करेगा या जो भी उचित समझे, वह आदेश देगा। इस प्रकार, सर्वे करने वाले अधिवक्ता कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाने का प्रावधान बंटवारे के मुकदमे में फैसले से पहले आयोग जारी करने के मामले में है, न कि सभी मामलों में जहां अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया गया हो। इसलिए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क सही नहीं है। इसके अलावा, जब अपीलीय न्यायालय ने अन्य साक्ष्य, दस्तावेजी और मौखिक दोनों को देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रदर्श 3 पर ज़्यादा

भरोसा किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ से दूसरा दस्तावेज़, जो प्रदर्श ज है, यानी अंचल अमीन की रिपोर्ट, मेल नहीं खाता। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलकर्ता की कुल ज़मीन 2343 वर्ग.करी थी, जबकि उसका निर्माण 2365 वर्ग.करी में हुआ था। इसलिए, अपीलकर्ता का घर उसकी खरीदी हुई ज़मीन से बड़ा है और वादी-अपीलकर्ता ने इस दस्तावेज़ का विरोध नहीं किया था।

16. ऊपर की गई चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को ज्यादातर मामले के तथ्यों और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना पर चुनौती देने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मौकों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय से केवल विचारण न्यायालयों के निष्कर्षों को बदलने के लिए साक्ष्य की पुनः सराहना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ***कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम अंजुमन-ए-इस्माइल*** मामले पर भरोसा किया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट ***(1999) 6 एस.सी.सी. 343*** में दी गई है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तथ्य का शुद्ध प्रश्न दूसरी अपील के क्षेत्राधिकार में आते है। यदि विचारण न्यायालय किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचता है जो किसी दुर्बलता या विकृति से ग्रस्त नहीं है, तो यह न्यायालय एक विपरीत दृष्टिकोण लेने के लिए साक्ष्य की पुनः सराहना करने के लिए मामले को नहीं देखेगा।

17. इसलिए, अब तक की गई चर्चाओं के आलोक में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह उसके मामले के लिए कोई मददगार नहीं है।

18. चूँकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय में कोई विकृति नहीं दर्शा पाए हैं और चूँकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधार, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इस द्वितीय अपील को स्वीकार करने

का कोई मामला नहीं बना पाते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वर्तमान मामले में कोई भी कानूनी प्रश्न उठता है।

19. तदनुसार, द्वितीय अपील प्रवेश के चरण पर ही खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के. पांडेय /-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।